कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी जिला –हरदा

क्रमांक /6536/एस.डब्लू./कोरोना/2021 हरदा दिनांक 6/05/2021

" संशोधित आदेश "

(अंतर्गत धारा–144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये, इस कार्यालय के प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/5866/एस.डब्लू./कोरोना/2021 हरदा दिनांक 15.04.2021, आदेश क्रमांक 5999/एस.डब्लू./कोरोना/2021 हरदा दिनांक 20.04.2021 , आदेश क्रमांक/6135/एस. डब्लू./कोरोना/2021 हरदा दिनांक 23.04.2021 एंव आदेश क्रमांक 6360/एस.डब्लू./कोरोना/2021 हरदा दिनांक 29.04.2021 धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत जारी किये गये थे ।

जिला स्तरीय काइसिस मैनेजमेंट समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 06.05.2021 में लिये गये निर्णय तथा वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये **मैं संजय गुप्ता, कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी जिला हरदा,** आदेश क्रमांक /6360/एस.डब्लू. /कोरोना/2021 हरदा दिनांक 29.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये कोरोना कर्फ्यू की अवधि दिनांक 07.05.2021 में वृद्वि कर दिनांक 14.05.2021 तक की जाती है ।

चुंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा । उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा शेष आदेश एंव उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी ।

यह आदेश आज दिनांक 06/05/2021 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की सील से जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(संजय गुप्ता)
कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी
जिला– हरदा

क्रमांक /6537/एस.डब्लू./कोरोना/2021 हरदा दिनांक 6/05/2021

प्रतिलिप–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,वल्लाभ भवन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल एंव प्रभारी अधिकारी कोविड–19 जिला हरदा।
4. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद ।
5. माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश हरदा ।

की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6. पुलिस अधीक्षक हरदा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा ।

Scanned with CamScanner

8. अपर जिला दण्डाधिकारी हरदा ।
9. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा ।
10. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) हरदा ।
11. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, हरदा ।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा ।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हरदा ।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क हरदा की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. सूचना अधिकारी एन0आई0सी0 हरदा वेव पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
16. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार हरदा ।
17. विभाग प्रमुख ——————जिला हरदा ।
18. प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम हरदा की ओर सूचनार्थ एंव तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. थाना प्रभारी, थाना——————————जिला हरदा की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कडाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी
जिला– हरदा

Scanned with CamScanner